

केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 5405

18 09 2024

विषय: IS 5405 : 2019 (सैनिटरी) नैपिकन — विशिष्टि भाग में संशोधन संख्या 5 का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 5405 : 2019 में संशोधन संख्या 5 प्रकाशित हो चुकी है । IS 5405 : 2019 में संशोधन संख्या 5 के अनुपालन की अंतिम तिथि 22 फ़रवरी 2025 है । सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 5405 : 2019 में संशोधन संख्या 5 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और 22 फ़रवरी 2025 तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(हरीश मीना) वैज्ञानिक-बी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2) सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 5405 18 09 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 5 to Indian Standard 5405 (Sanitary Napkins — Specification)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 5 to IS 5405: 2019 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 5 to IS 5405: 2019 is **22 February 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **22 February 2025**

(Harish Meena) Scientist B (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices